कल्याणाकारी योजनाओं सम्बन्धी हस्त पुस्तिका

भाग-1 शासकीय कल्याणकारी योजनाएं/सुविधाएं

1. कल्याण निधि
2. अनुग्रह धनराशि
3. आर्थिक सहायता
4. जी0पी0एफ0 सम्बद्ध बीमा
5. सामुहिक बीमा योजना
6. सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों को सेवायोजित किया जाना
7. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति
8. गोल्डन कार्ड

भाग-1(बी) पेंशनरी व सेवा सुविधाएं

1. पेंशन
2. अंशदान पेशन योजना
3. उपादान (ग्रेज्युटी)
4. राशिकरण
5. उपार्जित अवकाश
6. अवकाश यात्रा सुविधा
7. जी0पी0एफ0 से अग्रिम

भाग-2 पुलिस मुख्यालय द्वारा शुरु की गयी कल्याणकारी योजनाएं/सुविधाएं

1. जीवन रक्षक निधि
2. सामुहिक बीमा बचत योजना
3. सैन्ट्रल पुलिस कैन्टीन
4. गैस एजेन्सी
5. पुलिस मार्डन स्कूल
6. दाह संस्कार हेतु सहायता
7. पैट्रोल पम्प
8. कार्मिकों के मेधावी बच्चों हेतु छात्रवृत्ति
9. शहीद कोष
10. सैलरी अकाउंट खोलने पर इंश्योरेन्श की सुविधा

भाग-3 Uttarakhand Police Wives Welfare Association(UPWWA)

भाग-4 Central Government Investments schemes

1- पी0पी0एफ0 (Public provident fund)

2- सुकन्या समृद्धि योजना

3- प्रधानमंत्री आवास योजना

4- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

5- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना

भाग-1

शासकीय कल्याणकारी योजनायें/सुविधायें

1.कल्याण निधि – उत्तराखण्ड पुलिस कार्मिकों के कल्याणार्थ राज्य में पुलिस कल्याण ब्यूरों का गठन किया गया है। जनपद/शाखा स्तर पर पुलिस कर्मियों की कल्याण सम्बन्धी समस्याओं के निस्तारण हेतु परामर्शदात्री उपसमितियां गठित की गई है। इस निधि में शासन द्वारा विगत 05 वर्षों से प्रत्येक वर्ष रु0 2.25 करोड़ का अनुदान प्राप्त होता है, जिससे जनपद/इकाईयों में विभिन्न कल्याणकारी कार्य सम्पादित किये जाते है।

2.अनुग्रह धनराशि – पुलिस कार्यवाही के दौरान वीरगति को प्राप्त होने पर अनुग्रह राशि निम्न प्रकार प्रदान की जाती हैः-

1.	मृतक कर्मी के अविवाहित होने पर	मृतक के माता-पिता को **15 लाख**
2.	मृतक माता-पिता के जीवित न होने पर	मृतक की आश्रित पत्नी को **15 लाख**
3.	मृतक के विवाहित होने पर	मृतक की पत्नी को **9 लाख** एवं माता-पिता को **6 लाख**
4.	मृतक कर्मी की पत्नी जीवित न होने पर	माता-पिता को **6 लाख** तथा आश्रित बच्चों को **9 लाख** बराबर बांटी जायेगी।
5.	मृतक कर्मी के माता-पिता एवं पत्नी के जीवित न होने पर।	सम्पूर्ण धनराशि आश्रित बच्चों को बराबर बांटी जायेगी।

3. आर्थिक सहायताः- कर्तव्य पालन के दौरान गम्भीर रुप से घायल हो जाने पर पुलिस कार्मिक को **रु0 20 हजार** की आर्थिक सहायता।

4. जी0पी0एफ0 से सम्बद्ध बीमाः- जो कर्मी जी0पी0एफ0 के अभिदाता है एवं कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, की मृत्यु होने पर आश्रित को **रु0 30 हजार** की अधिकतम धनराशि।

5. सामूहिक बीमा योजनाः- इस योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा मृत अधि0/कर्म0 के आश्रितों को कर्मचारी के वेतन से मासिक अंशदान की कटौती के **1000 गुना धनराशि** का भुगतान।

6. सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को सेवायोजित किया जानाः- सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर पुलिस अधि0/कर्म0 के आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार चतुर्थ श्रेणी/कान्स0/कान्स0(एम) के पद पर निम्न विवरण अनुसार सेवायोजित किये जाने का प्राविधान है-

मृतक कर्मी का संवर्ग	**सेवायोजन का संवर्ग**	**अहर्ता पूर्ण न होने पर**
पीएसी0/आई0आर0बी0	आरक्षी पीएसी के पद पर	पीएसी/आईआरबी में चतुर्थ श्रेणी पद पर
जिला पुलिस/अभिसूचना/ लिपिक	जिला पुलिस/अभिसूचना /लिपिक आरक्षी के पद पर	जिला पुलिस/अभिसूचना संवर्ग में चतुर्थ श्रेणी के पद पर
पुलिस संचार	जिला पुलिस में आरक्षी के पद पर	पुलिस संचार शाखा में चतुर्थ श्रेणी
फायर सर्विस	पुरुष अभ्यर्थी को फायर मैन के पद पर	-

नोटः- उक्त के अतिरिक्त निम्न अहर्ता पूर्ण करने वाले मृतक आश्रित अभ्यर्थियों को कान्स0(एम) के पद पर सेवायोजन हेतु विचार किया जा सकता हैः-

1.भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष अहर्ता प्राप्त।

2.सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर ज्ञान में 01 वर्ष का डिप्लोमा।

3.कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सफल होना आवश्यक है।

7. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्तिः- पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के उपचार पर व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन-2018 के अन्तर्गत निम्न प्रकार स्वीकृत की जाती है-

1. रु0 1,50,000 तक	कार्यालयाध्यक्ष
2. रु0 1,50,000-00 से रु0 5,00,000-00 तक	विभागाध्यक्ष
3. रु0 5,00,000-00 से अधिक	उत्तराखण्ड शासन

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण **आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा स्वीकृत करने पर भुगतान करने हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को प्रेषित किये जायेंगें।**

8. गोल्डन कार्डः- आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को केशलेश चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। जिसमें 7वें वेतन आयोग के अनुसार निम्नवत अंशादन प्रतिमाह की कटौती की जा रही हैः-

लेवल	अंशदान की कटौती प्रतिमाह
लेवल 1 से 5	रु0 250-00
लेवल 6	रु0 450-00
लेवल 7 से 11	रु0 650-00
लेवल 12 एवं उच्चतर	रु0 1000-00

भाग-1 (बी)

पेंशनरी एवं सेवा सम्बन्धी अन्य सुविधायें

1. **पेंशनः-** पेंशन की गणना पूर्व की भांति 50 प्रतिशत के आधार पर की जायेगी। परन्तु न्यूनतम पेंशन की धनराशि रु0 9000-00 तथा अधिकतम रु0 1,12,500-00 से अधिक नहीं होगी।

- **अधिवर्षता पेंशनः-** प्रत्येक सरकारी सेवक जिसने अधिवर्षता 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, सेवानिवृत्त किया जाता है।

- **ऐच्छिक सेवानिवृत्तिः-** पूर्ण पेंशन हेतु 33 वर्ष की राजकीय सेवा की अहर्ता को घटा कर अब 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन तत्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगी।

- **पारिवारिक पेंशनः-** पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रुप से की जायेगी। पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रु0 9000-00 प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन की धनराशि रु0 2,25,000-00 के 30 प्रतिशत तक सामान्य दर पर सिमित होगी। दिवंगत हुये सरकारी सेवक के प्रकरण में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुये बढ़ी दर (50%) पर पारिवारिक पेंशन निम्नवत अनुमन्य होगीः-

  (क) ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है, के परिवार क मृत्यु की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी। इस हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।

  (ख)पेंशनरी की मृत्यु की दशा में बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन का लाभ दिवंगत पेंशनर की मृत्यु की तिथि से 7 वर्ष अथवा दिवंगत पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य होगा।

2. पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु "परिवार" की परिभाषा पूर्ववत समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत यथावत है।

- **असाधारण पेंशनः-** यह पेंशन शासन द्वारा स्वीकृत की जाती है। उत्तराखण्ड शासनादेश सं0-889/XX-7/2018-01(40)2014 दिनांकः11-07-20187 के द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस (असाधारण पेंशन) (संशोधन) नियमावली 2018 प्रख्यापित की गयी है। जिसमें सभी अराजपत्रित/राजपत्रित पुलिस, पीएसी तथा अग्निशमन सेवा कार्मिकों को सम्मिलित किया गया है चाहे वह स्थाई या अस्थाई रुप में नियोजित किये गये हो, जिनकी मृत्यु कर्तव्य के दौरान निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन हुई होः-

  (क) डाकुओं/अपराधियों/विदेशी शत्रु/उग्रवादियों/आतंकवादियों/नक्सलियों आदि के आक्रमण/लड़ाई के कारण मृत्यु।

  (ख) हिंसात्मक/आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करते हुये मृत्यु होने पर।

(ग) महत्वपूर्ण प्रशिक्षण/प्रदर्शन से गुजरने के दौरान दुर्घटना से मृत्यु।

(घ) प्राकृतिक/दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़/भूकम्प/भूस्खलन/बर्फीलें तूफान के दौरान जनमानस की रक्षा/बचाव करते हुए मृत्यु होने पर।

(ङ) किसी भी क्षेत्र में आग बुझाने में जनमानस की रक्षा/बचाव करते हुए मृत्यु होने पर।

(च) कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में आक्रमण के कारण मृत्यु होने और

(छ) कैदी अनुरक्षा के दौरान आक्रमण के कारण मृत्यु पर।

इसमें मृतक के परिवार को पेंशन के रुप में मृत्यु के दिनांक को मृतक द्वारा प्राप्त वेतन एवं उस पर देय मंहगाई भत्ता उसके परिवार को मृतक कर्मचारी की अधिवर्षता आयु प्राप्त होने पर दिया जाता है। तत्पश्चात साधारण पारिवारिक पेंशन दी जाती है। असाधारण पेंशन प्रकरण में उपादान परिलब्धियों का 8 गुना दिया जाता है।

2. <u>दि0-01-10-2005 से सेवा में आये कार्मिकों के लिये अंशदान पेंशन योजनाः-</u> राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मियों को सेवानिवृत्ति उपादान एवं मृत्यु उपादान का लाभ अनुमन्य होगा।

01-10-2005 के बाद नव नियुक्त/भर्ती होने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारी को नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत मूल वेतन और मंहगाई भत्तें के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा। उक्त में 14 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

3. <u>उपादान का भुगतान (Gratuity) -</u>

- <u>उपादानः</u>- सेवानिवृत्तक उपादान/मृत्यु उपादान की अधिकतम धनराशि की सीमा रु0 20 लाख (रु0 बीस लाख) से अधिक नहीं होगी। इस विषय में अधिकतम अवधि 33 वर्ष में प्रतिवर्ष 15 दिन का मानक पूर्ववत रहेगा।
- <u>मृत्यु उपादान की दरेः</u>-

1.एक वर्ष की कम सेवा अवधि पर	परिलब्धियों का दो गुना
2.एक वर्ष से अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम सेवा अवधि पर	परिलब्धियों का छः गुना
3.पांच वर्ष से अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम सेवा अवधि पर	परिलब्धियों का 12 गुना
4.11 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 20 गुना
5. 20 वर्ष से अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छःमाही के लिये परिलब्धियों के ½ के बराबर होगी। जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम

आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा रु0 20 लाख जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी।

4.<u>पेंशन के एक भाग का राशिकरणः</u>- प्रत्येक सरकारी सेवक को जो सेवानिवृत्त होता है उसे अपनी पेंशन के एक निर्धारित भाग अर्थात 40 प्रतिशत तक राशिकरण कराये जाने की सुविधा प्राप्त है। राशिकरण कराये जाने के पश्चात भी उसे मंहगाई भत्ता व राहत उसकी पूर्ण पेंशन पर दी जाती है। राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन पूर्व की भांति पी0पी0ओ0 निर्गत होने के 03 माह बाद अथवा भुगतान की तिथि, जो भी पहले हो, से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि से ठीक अगली तिथि से होगा।

5. <u>उपार्जित अवकाशः-</u> प्रत्येक कर्मचारी को एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 31 दिवस उपार्जित अवकाश अर्जित होता है, जिसकी गणना निम्न प्रकार से होती हैः-

(1) एक जनवरी से 30 जून तक - 16 दिवस,
(2) एक जुलाई से 31 दिसम्बर तक - 15 दिवस,
कुल योग 31 दिवस

<u>6. अवकाश यात्रा सुविधा (एल0टी0सी0)-</u> यह सुविधा न्यूनतम 5 वर्षों की सेवा पूर्ण करने पर प्रत्येक 10 वर्ष में 01 पूरी सेवाकाल में कुल 3 बार अनुमन्य । सीमित परिवार योजना के अधीन यह सुविधा पूरी सेवा काल में उक्त तीन अवसरों के अतिरिक्त चौथी बार देय होगी। अवकाश यात्रा सुविधा के उपभोग के लिये सरकारी सेवक को न्यूनतम 15 दिन के अर्जित अवकाश का उपभोग करना अनिवार्य होगा।

<u>7. जी0पी0एफ0 अग्रिमः</u>- सरकारी अधिकारी/कर्मचारी जो जी0पी0एफ0 के अभिदाता है, को उसके जीपीएफ खाते में जमा धनराशि के अन्तर्गत उसके समय-समय पर आवश्यकताओं की मांग के अनुरूप उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली(संशोधन) 2017 के अधीन अस्थायी अग्रिम/अन्तिम निष्काशन स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है।

भाग-2

पुलिस मुख्यालय द्वारा शुरु की गयी कल्याणकारी योजनाएं/सुविधाएं

1. **जीवन रक्षक निधि**- इस निधि से किसी भी बीमारी हेतु तत्काल अग्रिम के रुप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसका समायोजन उनके द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण एवं कार्मिकों के वेतन से प्रतिमाह निर्धारित कटौती कर किया जाता है। इस निधि में अग्रिम की सीमा में निम्न प्रकार वृद्धि की गई हैः-

क्र0 सं0	जनपद/इकाई	स्वीकृत किये जाने की सीमा
1.	जनपद/इकाई स्तर पर	रु0 50 हजार तक
2.	परिक्षेत्रीय कार्यालय/पी0ए0सी0 मुख्यालय/ अभिसूचना मुख्यालय पर	रु0 1 लाख तक
3.	मुख्यालय स्तर पर	रु0 1 लाख से अधिक

2. **सामुहिक बीमा बचत योजनाः**- इस योजना में कार्मिक के वेतन से रु0 106-00 प्रतिमाह प्रीमियम जमा करने पर दुर्घटना में मृत्यु होने पर रु0 2 लाख तथा बीमारी से मृत्यु होने पर रु0 1 लाख की बीमित राशि LIC द्वारा प्रदान की जाती है।

3. <u>सेन्ट्रल पुलिस कैन्टीन (सी0पी0सी0)</u>- वर्तमान में 13 जनपदों और 04 वाहिनियों में सेन्ट्रल पुलिस कैन्टीन की सुविधा प्रदान की जा रही है। जिसमें दैनिक उपयोग की वस्तुयें बाजार से कम दरों पर केशलेश एवं नगद धनराशि के भुगतान पर कार्मिकों को प्रदान की जा रही है।

4. **<u>गैस एजेन्सीः</u>**- कतिपय जनपद/इकाईयों में गैस एजेन्सी की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें पुलिस कार्मिकों को यथासमय गैस प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा सब्सीडी भी प्रदान की जाती है।

5. **<u>पैट्रोल पम्पः</u>**- जनपद देहरादून, हरिद्वार, 31 पीएसी एवं 40 पीएसी में पैट्रोल पम्प की व्यवस्था की गई है। पैट्रोल पम्प की नियमावली के अनुसार सभी जनपदों/इकाईयों में कार्यवाही की जा रही है। जिसमें मृतक पुलिस कर्मियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के बेरोजगार बच्चों को रोजगार प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

6. **<u>पुलिस मार्डन स्कूलः</u>**- जनपद देहरादून, हरिद्वार, 31, 46 पी0ए0सी0 एवं आई0आर0बी- प्रथम में पुलिस मार्डन स्कूल (कुल-05) स्थापित किये गये है-

देहरादून			40 पीएसी		31 पीएसी		हरिद्वार		
कक्षा	पुलिस	प्राईवेट	पुलिस	प्राईवेट	पुलिस	प्राईवेट	कक्षा	पुलिस	प्राईवेट
Nur-UKG	रु0 500	रु0 850	रु0 525	रु0 892	रु0 600	रु0 950	Nur-LKG	रु0 500	रु0 750
1st-2nd	रु0 550	रु0 900	रु0 577	रु0 945	रु0 800	रु0 1000	UKG	रु0 450	रु0 550
3rd-5th	रु0 700	रु0 1000	रु0 735	रु0 1050	रु0 800	रु0 1100	1st-5th	रु0 500	रु0 600
6th-8th	रु0 750	रु0 1050	रु0 787	रु0 1102	रु0 850	रु0 1150	6th-8th	रु0 600	रु0 700
9th-10th	रु0 850	रु0 1150	रु0 892	रु0 1155	रु0 950	रु0 1200	9th-10th	रु0 700	रु0 800
11th-12th	-	-	रु0 1155	रु0 1470	-	-	-	-	-

POLICE MODERN SCHOOL

7. **<u>दाह संस्कार हेतु सहायताः-</u>** कार्मिक की मृत्यु होने पर उसके दाह संस्कार हेतु **<u>रु0 10 हजार</u>** की आर्थिक सहायता।

8. **<u>कार्मिको के मेधावी बच्चों को छात्रवृत्तिः</u>**- कार्मिकों के मेधावी बच्चों को उत्साहवर्धन हेतु कल्याण निधि के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष एक मुश्त छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

9. **<u>शहीद कोषः</u>**-

1. अपराधिक एवं आतंकवादी से मुठभेड़ होने पर	रु0 10 लाख
2. साम्प्रदायिक दंगे, हिंसात्मक भीड़ को नियंत्रित करने पर	रु0 5 लाख
3. दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन एवं भूकम्प इत्यादि में बचाव/राहत कार्य के समय	रु0 2.50 लाख
4. अन्य आपातकालीन घटनाओं से निपटना, जैसे आग बूझाना अथवा जीवन रक्षक करने पर	रु0 2.50 लाख
5. सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर	रु0 1 लाख
6. डियूटी के दौरान गम्भीर रुप से घायल होने पर घायल पुलिस कर्मी की स्थिति को देखते हुये उपचार हेतु	रु0 25 हजार
7. पुलिस अभिरक्षा में रखे अभियुक्त द्वारा भागने का प्रयास करने पर पुलिस कर्मी द्वारा पीछा किये जाने के दौरान कर्मी की हत्या या असामयिक मृत्यु होने पर	रु0 2.50 लाख

10. **<u>सैलरी अकाउन्ट पर इंश्योरेन्श की सुविधा-</u>** उत्तराखण्ड पुलिस के अधि0/कर्म0 को केवल सैलरी अकॉउन्ट खोलने पर बिना अंशदान लिये विभिन्न बैंकों द्वारा दुर्घटना में मृत्यु होने पर निम्न विवरण अनुसार बीमा धनराशि प्रदान की जा रही हैः-

क्र0सं0	बैंक	बीमा की धनराशि
1	एस0बी0आई0	रु0 25 लाख
2.	पी0एन0बी0	रु0 30 लाख
3.	उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	रु0 25 लाख
4.	ऐक्सीस बैंक	रु0 50 लाख
5.	एच0डी0एफ0सी0	रु0 50 लाख
6.	आई0सी0आई0सी0आई0	रु0 50 लाख
7.	जिला सहकारी बैंक	रु0 25 लाख

भाग-3

Uttarakhand Police Wives Welfare Association

Uttarakhand Police Wives Welfare Association (UPWWA)- पुलिस के अधिकारियों से लेकर कर्मचारी स्तर तक के परिवारों को एक बैनर के नीचे लाने हेतु Uttarakhand Police Wives welfare Association (UPWWA) का गठन किया गया है। जिसके उद्देश्य निम्न हैः-

I. परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
II. मेधावी एवं जरुरत मंद बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना।
III. स्वास्थ्य परीक्षण हेतु मेडिकल कैम्प आयोजित कराना ।
IV. परिवार के सदस्यों हेतु शैक्षणिक, व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
V. वैवाहिक कलह के मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना तथा बिना किसी देरी के न्याय दिलाना और वैवाहिक जीवन में सुधार और टूटे हुए परिवारों की स्थिरता सुनिश्चित करना।
VI. खेल तथा शिक्षा मे उत्कृष्टता के लिये योग्यता पुरुस्कार तथा विशेष रुप से विंकलांग बच्चों के लिये आर्थिक सहायता।
VII. कैरियर काउंसलिंग कराना तथा कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से कुशलता चिन्हित कर अवसरों का एक मंच प्रदान करना।
VIII. स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन करना।
IX. पुलिस मार्डन स्कूलों के स्तर को बढ़ाना एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त कराने का प्रयास तथा अन्य जनपदों में भी पुलिस मार्डन स्कूल खोलने पर विचार करना।
X. विधवा महिलाओं एवं दिव्यांग और मानसिक रुप से मंद बच्चों के पुनर्वास के लिये कार्य करना।
XI. एच0आई0वी0 एड्स की रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
XII. नशामुक्ति कार्यक्रमों को संचालित करना।

भाग-4

Central Government Investments Schemes

1.पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)- पी0पी0एफ0 लंबी अवधि के लिए एक बेहतर निवेश विकल्प है, PPF में निवेश न केवल सुरक्षित है, बल्कि इसमें टैक्स छूट का पूरा लाभ मिलता है। PPF में निवेश पर फिलहाल 7.9 फीसदी का सालाना कम्पाउंडिंग ब्याज मिल रहा है। इस खाते में सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है, बल्कि इस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी के वक्त मिलने वाली रकम भी टैक्सफ्री होती है । बैंक/पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं।

2.सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) – सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लांच की गयी है। इस योजना में 7.6% फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा था जो इनकम टैक्स छूट के साथ है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बच्ची के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा गर्ल चाइल्ड के नाम से उसके 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है। इस नियम के मुताबिक एक बच्ची के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है। एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपये तथा एक बार या कई बार में 1.5 लाख रुपये से अधिक जमा नहीं कराया जा सकता। बच्ची के 24 से 30 साल के होने तक जब सुकन्या समृद्धि योजना खाता मैच्योर हो जाये, उसमें जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा।

3. प्रधान मंत्री आवास योजनाः- शहरी इलाके में "सभी के लिये घर" मिशन के तहत कार्यकारी एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) प्रस्तुत की गयी है। मध्यम आय वर्ग (MIG) को घर बनाने या अधिग्रहण (दोबारा खरीदने) के लिये हाउसिंग लोन के ब्याज दर पर सब्सिडी दी जायेगी। जो इस स्कीम के लिये पात्र है, उन्हें CLSS होम लोन की ब्याज दरों पर सब्सिडी प्रदान करता है, प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी दर, सब्सिडी राशि, अधिकतम लोन राशि और अन्य विवरणों का उल्लेख नीचे किया गया है।

Particulars	Middle Income Group I	Middle Income Group II
घरेलू आय(प्रतिवर्ष)	रु0 6-12 लाख	रु0 12-18 लाख
ब्याज सब्सिडी के लिये पात्र हाउसिंग लोन राशि	रु0 9 लाख	रु0 12 लाख
ब्याज सब्सिडी	4 %	3 %
अधिकतम लोन अवधि (वर्षों में)	20 वर्ष	20 वर्ष
अधिकतम आवासीय कार्पेट एरिया	160 Sq.m.	200 Sq.m

4.प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाः- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत रु0 12 प्रतिवर्ष कटने पर रु0 2 लाख दुर्घटना बीमा प्रदान किया जा रहा है।

5. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजनाः- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अन्तर्गत रु0 330 प्रतिमाह कटने पर रु0 2 लाख का बीमा प्रदान किया जा रहा है।